

FORM - III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

शामो बाई आदि बनाम कृष्ण सिंह आदि
 अन्तर्गत धारा 88,91 आरटीए नम्बर 2020

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलज जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.02.20	वादीगण शामो बाई पति कृष्ण सिंह जाति रायसिख निवासी 27ए तहसील श्री करणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह ने वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 92 आरटीए प्रस्तुत किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.03.2020 को पेश हो।	
3 17/3/20	वार सभ का कारो स्थगित है श्रीमान PO साहब उचित कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 28/4/20 को पेश हो। <i>Kumar</i>	
4 28/4/20	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान PO साहब उचित कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 28/5/20 को पेश हो। <i>Kumar</i>	
5 21/3/20	आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्राथमिक पत्र में निवेदन किया कि वादीगण का प्रतिवादीगण से राजीनामा हो गया है। इस कारण वाद चलाना बर्ही चाहते हैं। वादा मौजूदा अंश में खारिज किया जावे। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र नोटप्रेस करने पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विणीति होकर नम्बर से कम हो गई।	

(मूलचन्द लुणिया)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीकरणपुर

(मूलचन्द लुणिया)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीकरणपुर

